N-86

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

FIVE HUNDRED RUPEES

13 APR 2009

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 604601

750



न्यास पत्र

हम कि श्रीमती स्वेतलाना दूबे पत्नी श्री पवन कुमार दूबे निवासी ग्राम--भखरा,पोस्ट--भगवानपुर, तप्पा--रेट,परगना--भौवापार,तहसील--सहजनवां,जिला--गोरखपुर वर्तमान पता ग्राम--कजाकपुर, तप्पा व परगना--हवेली, तहसील--सदर,जिला-- गोरखपुर की हूं। हम मुकिरा समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करती रहती हूँ तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यो के साथ--साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिरा की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख--शान्ति, आपसी सद्भाव, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों को जीवन की मूल--भूत आवश्यकताएं, भोजन, शिक्षा,उत्तम स्वास्थ्य व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान--प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई--चारा, साम्प्रदायिक ताल--मेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति--पाँति, धर्म और साम्प्रदाय,कहीं से भी बाधक न हो। मेधावी व प्रतिभासम्पन्न छात्रों को अपने देश में अथवा देश के बाहर उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाय।जनहित के उक्त कार्यो को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिये विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 07AA 678630

विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिये हम मुकिरा द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम मुकिरा द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिये तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत 10000/– (दस हजार) रूपये का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल सम्पति की मैं व्यवस्था करती रहूंगी। हम मुकिरा अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित कर रही हूँ,जिसकी व्यवस्था निम्न रूपेण की जायेगी:–

1. यह कि हम मुकिरा द्वारा स्थापित न्यास का नाम **"बृज बिहारी दूबे एजूकेशनल ट्रस्ट"** होगा जिसे इस न्यास पत्र में आगे **"न्यास" अथवा "ट्रस्ट"** शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि हम मुकिरा द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय ग्राम–भखरा, पोस्ट–भगवानपुर,जिला–गोरखपुर में स्थित रहा,जिसका वर्तमान पता व मुख्यालय **ग्राम–कजाकपुर (निकट भगत चौराहा) ,पोस्ट–तारामण्डल, तप्पा व परगना–हवेली, तहसील–सदर,जिला– गोरखपुर** होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बाबत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर भारत के बाहर भी विधिपूर्ण कार्यो का संचालन किया जा सकेगा।
3. यह कि हम मुकिरा ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगें तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हम मुकिरा द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 07AA 678631

करती हूँ। भविष्य में हम मुकिर द्वाराट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिरा द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिरा द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है :–

1. श्री पवन कुमार दूबे पुत्र श्री बृज बिहारी दूबे निवासी ग्राम–भखरा,पोस्ट–भगवानपुर,तहसील–सहजनवां,जिला–गोरखपुर।
2. श्री संजय दूबे पुत्र श्री बृज बिहारी दूबे निवासी ग्राम–भखरा,पोस्ट–भगवानपुर,तहसील–सहजनवां,जिला–गोरखपुर।
3. श्री रामलौट मिश्रा पुत्र स्व0 श्रीकान्त मिश्रा निवासी ग्राम व पोस्ट–जिगिना भियांव,जिला–गोरखपुर।
4. श्री कैलाश चन्द्र पाठक पुत्र श्री हरि सेवक पाठक निवासी ग्राम–पकड़ी दामोदर,पोस्ट–भटौली,जिला–गोरखपुर।
5. श्री राजेश मणि त्रिपाठी पुत्र श्री दिनेश मणि त्रिपाठी निवासी ग्राम व पोस्ट–धानीबाजार,जिला–महराजगंज।
6. श्री कुणाल मणि त्रिपाठी पुत्र श्री राजेश मणि त्रिपाठी निवासी ग्राम व पोस्ट–धानीबाजार,जिला–महराजगंज।
7. श्री पूर्णेन्दु शुक्ल पुत्र श्री रमेश प्रसाद शुक्ल निवासी ग्राम–नन्दापार, पोस्ट–जैतपुर,जिला–गोरखपुर।

4. यह कि हम मुकिरा द्वारा **"बृज बिहारी दूबे एजूकेशनल ट्रस्ट"** के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:–

1. समाज के आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 07AA 678632

2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना और आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना तथा प्रतिभासम्पन्न मेधावी छात्रों को देश–विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना।

3. नव–युवक, नव–युवतियों व छात्र–छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिये प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नात्तकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना। वर्तमान में सरस्वती देवी महाविद्यालय खड्डा खुर्द,(खड्डा बाजार) के नाम से एक शैक्षिक संस्था की स्थापना करना।

4. वर्तमान समय में विज्ञान के जन–जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुये तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञाशुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।

5. स्वयंसेवी संगठन ह्यूमन डेवलपमेन्ट सोसाइटी व इसके अन्तर्गत स्थापित सरस्वती देवी महाविद्यालय नन्दापार,जैतपुर,गोरखपुर व सरस्वती देवी महाविद्यालय निचलौल,महराजगंज व सरस्वती देवी महाविद्यालय खड्डा खुर्द (खड्डा बाजार),कुशीनगर में किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था न्यास में निहित कर उसका संचालन करना।

6. लिंग–भेद, जाति–पाँति, छुआ–छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना को समाप्त करने के लिये प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्वे/लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 07AA 678633

7. शिक्षा प्रचार–प्रसार,उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा, तकनीकी,गैर तकनीकी शिक्षा,विधिशिक्षा,शिक्षा–प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना।

8. समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुये नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी0जी0 कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के श्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

9. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिये अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे– मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी के लिये कोचिंग सेन्टरों की व्यवस्था तथा उसने होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।

10. ट्रस्ट के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में सीट पुरूषों द्वारा भरा जा सकता है।

11. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिये स्व रोजगार योजनाओं का प्रबन्ध करना तथा उनके लिये शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिये अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।

12. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे– सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिग, स्क्रीनिंग, पेन्टिग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग/बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण आदि जैसे –– केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिये प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 07AA 678634

13. खाद्य प्रस्संकरण जैसे – जैम, जैली, मुरब्बा, अचार, केचप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

14. युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे – हैण्डी क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल–कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी ट्रस्ट का उद्देश्य है।

15. विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे– गूंगे, बहरे, अन्धों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिये विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हे आत्मनिर्भर बनाना आदि। बिना लाभ–हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना आदि।

16. वृद्धों के लिये विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना, जिसमें मनोरंजन, पढ़ने–लिखने एवं उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा हो।

17. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हे सरकारी सहायता दिलाना।

18. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।

19. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी – बूटी वाले पौधों का उत्पादन करना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 07AA 678635

20. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुये उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिये बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन–जन तक पहुँचाना।

21. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।

22. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके जैसे– यूनीसेफ, आई0सी0डी0एस0, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

23. घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी, रोक–थाम, टीकाकरण के लिये युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन कराना।

24. नशा के सेवन से छुटकारा पाने के लिये नशा–मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्येवस्था करना।

25. समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे– अन्धं–विश्वास, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग–भेद, अस्पृश्यता, जाति–पात एवं छुआ–छूत की भावना, स्वैच्छिक भावना के ह्रास को दूर करना तथा इसके लिये जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

26. युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना तथा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।

27. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 07AA 678636

28. विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना।

29. एड्स, कैन्सर, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम/नियन्त्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज होमियापैथिक,आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय/पैरा मेडिकल महाविद्यालयों डीम्ड यूनिवर्सिटी तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

30. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय नाली, सड़क निर्माण, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना।

31. कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिये नये–नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कराना तथा नये–नये शोधित बीजों को उगाने तथा उनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिये आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हे प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित करना।

32. प्राकृतिक आपदा जैसे– हैजा, प्लेग, भुखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना।

33. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित हैं तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।

34. पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान व कानूनी जागरूकता के लिये काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना करना।

35. गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिये उपाय करना।

36. सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सर्वे कार्य करना जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 07AA 678699

37. किसी अन्य सरकारी अथवा एन0जी0ओ0, एसोसियेशन, ट्रस्ट के क्रिया – कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस ट्रस्ट से मिलते हों।
38. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना।
39. ट्रस्ट के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इसके शाखा या इसके क्रिया–कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।
40. सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना।

5. ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्त्तव्य

1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न ईकाइयों को सुचारू व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।
3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारू रूप से संचालन के लिये अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना।
4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिये विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिये धन, सदस्यता शुल्क, दान, चंदा इत्यादि प्राप्त करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयां गठित करना।
5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं की व्यवस्था के लिये शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।
6. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख–भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतत् प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 07AA 678700

7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बाबत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों, गौ–शालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिये आचरण नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।
9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध–सरकारी, गैर सरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।
10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित कार्यों को करना।
11. ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कराना तथा उक्त अधिनियम की धारा–80 जी.जी. के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करना।
12. ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों एवं डीम्ड यूनिवर्सिटी व इन्स्टीच्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित आवश्यक कार्य करना।

6. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन–

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:–

1. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धक हम मुकिरा होगीं और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवनकाल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। मुख्य ट्रस्टी का यह अधिकार उनके द्वारा वसीयत के माध्यम से अगले मुख्य ट्रस्टी को



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 60AA 693051

नामित करने के अधिकार को प्रतिबन्धित नहीं करेगा। किन्ही परिस्थितियों में उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु हो जाय तो ट्रस्ट के शेष ट्रस्टियों को मुख्य ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से बहुमत के आधार पर ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी चयनित करने का अधिकार होगा।

2. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत होगा। किसी ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर ट्रस्ट से अलग होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।
3. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्ही परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी की देख–रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिये मान्य एवं अन्तिम होगा।
4. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्याग–पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्ति की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।
5. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 60AA 693058

पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा।

6. ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीच्यूट के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि,सम्बन्धित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीच्यूट की नियामक संस्था अथवा विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिये नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीच्यूट के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होगें तथा उन्हे नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।
7. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी से यदि कोई व्यक्तिगत लेन–देन करता है तो सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. ट्रस्ट के कार्यो के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मंडल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किये गये खर्चे व उसके संबंध में प्रस्तुत व्यय राशि से संबंधित बिलों को स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 60AA 693059

2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया – कलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7. **मुख्य ट्रस्टी /प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य**

1. इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के रूप में कार्य करना तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
2. ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
3. ट्रस्ट की कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
4. ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना।
5. ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय–व्यय का हिसाब–किताब तथा रिर्पोट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।
6. ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल–अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।
7. ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरूद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।
8. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यो को करना।
9. ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
10. ट्रस्ट के आय–व्यय का रिर्पोट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा परीक्षण कराना।
11. ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख–रखाव करना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 60AA 693060

8. **ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था**
ट्रस्ट के कोष के सुचारू रख–रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियां एवं ऋण राशियॉ निहित होगी, ट्रस्ट के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

9. **ट्रस्ट के अभिलेख**
ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा।

10. **ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था**
ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगीः–

1. यह कि ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी, जिसे कि मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे।
2. यह कि मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं को संचालित करने के लिये भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।
3. यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरूपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा। ट्रस्ट व उसके अधीन





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AA 693061

संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

4. ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी ।
6. ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरूद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी ।
7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तो एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।
8. ट्रस्ट मण्डल, ट्रस्ट के लिये वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिये आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिये ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बाबत भी यह शर्तें लागू होगीं।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AA 693050

घोषणा

"बृज बिहारी दूबे एजूकेशनल ट्रस्ट" की तरफ से हम **श्रीमती स्वेतलाना दूबे** मुख्य न्यासी के रूप में यह घोषित करती हूं कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ़ व समझ कर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच–समझ कर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस न्यास का विधिवत् गठन हो सके।

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

हस्ताक्षर साक्षीगण:

1. प्रमोज कुमार उपाध्याय
पु- स्व. श्री अवि देश्वर उपाध्याय
मे नं- 29 कथमलपुर निकट महाराणा प्रताप
पालिटेक्निक गोरखनाथ- गोरखपुर

2. RL mishra
Ram Lavt Mishra s/o Late Shreekant Mishra
Village P.O-Jigina Bhiyaw Distt Gorakhpur

दिनांक:

मजमूनकर्ता

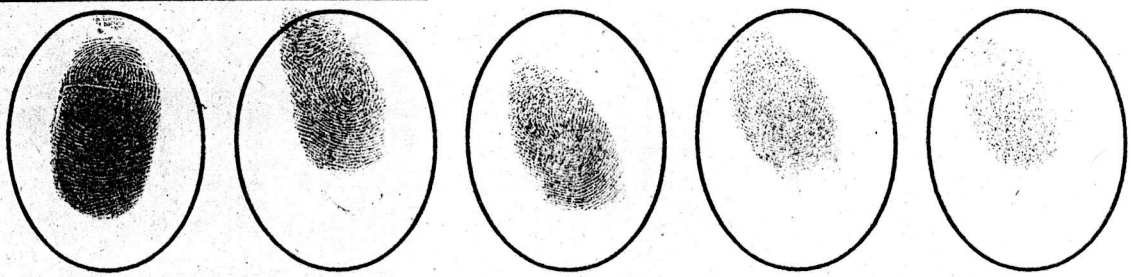
7.5.09.

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा-32 ए0 के0 अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

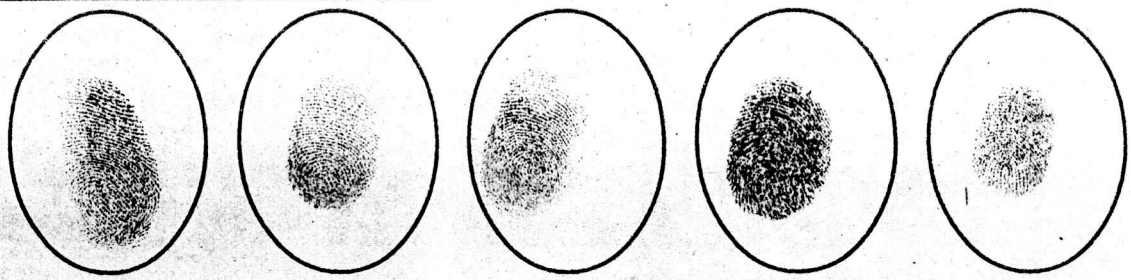
प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता श्री भोला स्वेतकला के पुत्र श्री पवन कुमार से

.....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

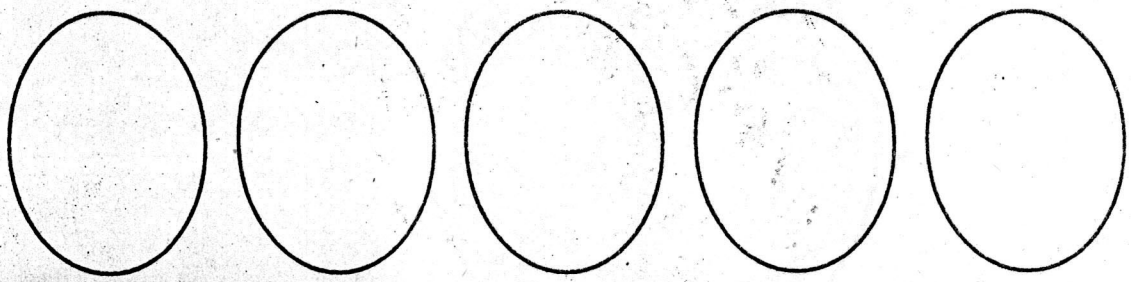


प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

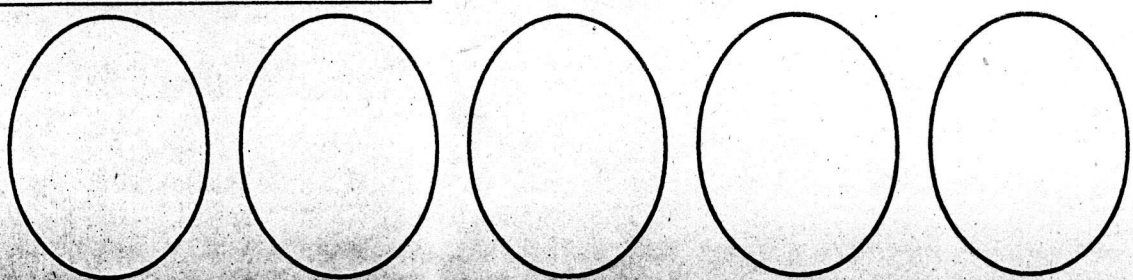
प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता.....

.....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



दाहिन हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

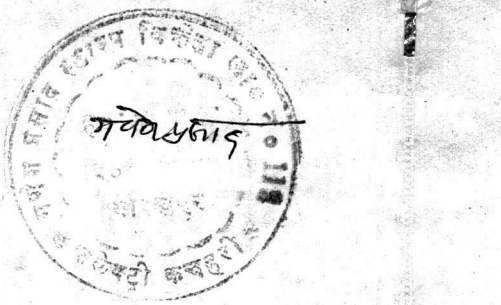
60AA 682595

S/o Late Shreekant Mishra

Village P.O. Jigina Bhiyaw Dist. Gorakhpur

नं- 74 ता. 07-05-2009 बोलट 10)

श्रीमती स्वेतलाना दूबे प0श्री पवन कुमार दूबे निवासी ग्राम मरवरा थे भगवानपुर तहसील खजनी गोरखपुर



न्यासी

Registration No. 86 Year : 2009 Book No. 4

0101 स्वेतलाना दूबे

गोर0

हेणी









३६ —— ७मा॰ २१/४/०९ श्रीमती रेखा लाग इक सा॰ ए॰ २७५

हीरा लाल गोड़ियन्सदार
दीवानी कचहरी, गोरखपुर
का॰ नं॰-९

आज दिनांक **07/05/2009** को

वही सं **4** जिल्द सं **129**

पृष्ठ सं. **275** से **310** पर कमांक **86**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

सुप्रशान्त दूबे
उप निबंधक द्वितीय
गोरखपुर
7/5/2009

३४ — ग०सं० 29/16/0 श्रीमती श्वेतलाना दूबे 2009

हीरा लाल [illegible]
[illegible], गोरखपुर
ला० नं०-६

56/33

यास पत्र

10,000.00

फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
200.00	50	250.00	2,200

न्यास की राशि
श्री / श्रीमती स्वेतलाना दूबे
पुत्र / पत्नी श्री पवन कुमार दूबे
पेशा गृहिणी
निवासी स्थायी भखरा तह0सहजनवा गोर0
अस्थायी पता कजाकपुर सादर गोर0
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 7/5/2009 समय 3:38PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।



सुप्रशान्त दूबे
उप निबंधक द्वितीय
गोरखपुर
7/5/2009

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी
श्री/श्रीमती स्वेतलाना दूबे
पुत्र/पत्नी श्री पवन कुमार दूबे
पेशा गृहिणी
निवासी भखरा तहCसहजनवा गोर0



ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री रामलौट मिश्रा
पुत्र श्री श्रीकान्त मिश्रा
पेशा नौकरी
निवासी जिगना भियाव तह0बासगांव गोर0
व श्री मनोज कुमार उपा0
पुत्र श्री स्व0नर्वदेश्वर उपा0
पेशा नौकरी
निवासी 29 नथमलपुर शहर गोर0
ने की ।





प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

मनोज कुमार उपाध्याय

सुप्रशान्त दूबे
उप निबंधक द्वितीय
गोरखपुर
7/5/2009

36 — क्रमांक 27/6/10 श्री मती श्वेता लाबादुल्ल सा.के. 248

हीरा लाल जायसवाल
दीवानी कचहरी, गोरखपुर
सा० नं०-6



33 — ए० ला० 2916/08 श्रीमती देवता लोधा डेथ क्ला० नं० 2976

हीरा लाल लाईसेन्सदार
दीवानी कचहरी, गोरखपुर
ला० नं०-6



32 — 10/11/2018 श्रीमती श्वेता त्यागी पुत्र सत्ये. 2018

हीरा लाल लाइसेन्सदार
दीवानी कचहरी, गोरखपुर
ला० नं०-६



39 — 10/11.2014 को श्रीमती हेमलता वर्मा उप्र स.से. बस्ती

हीरा लाल लाईसेन्सदार
दीवानी कचहरी, गोरखपुर
ला० नं०-६

30 —— २०। ता. २१।४।०६ श्री गणेश्वर लाल डूडे ख्या. क. २५५

हीरा लाल लाईसेन्सदार
कचहरी, गोरखपुर
सा० नं०-६

2- — 20/ता॰ 29/8/10-के श्रीमती रेखा लाल हुये रु॰ रु॰ 2000

हीरा लाल [illegible]
डीवानी कचहरी, गोरखपुर
पा॰ सं॰-6



2 — 201ला.27।6।07 श्रीमती रू0 ता- नलाई के साथ 21मं'

धीरा लाल जाटव/तहसीलदार
धौलपुर कचहरी, धौलपुर
दा० सं०-8



26 — 20/वा॰ 27/4/05 श्रीमती शकेला लाना दुबे स्वा॰ सबके

1

हीरा लाल साइनेन्सदार
दीवानी कचहरी, गोरखपुर
मा॰ नं॰-1



22 — 20/ता.29/8/05 श्रीमती श्वेता सोनी दुकान नं. 213

हीरा लाल लाइसेन्सदार
दीवानी कचहरी, गोरखपुर
लाइ० नं०-4

2x — 20/ता॰ 3 व 4/08 श्रीमती श्वेता लाचा दुबे सा॰ न॰ 24 नं॰

हीरा लाल लाइसेन्सदार
दीवानी कचहरी, गोरखपुर
ला॰ नं॰-6



28 — 20/ता॰ 29/8/02 श्रीमती श्वेता जायसवाल बुकस्टाल नं॰ 29 पर

हीरा लाल लाइसेन्सदार
दीवानी कचहरी, गोरखपुर
ला॰ नं॰ 6



23 — 20/10.2.2018 श्रीमती श्वेता लोधा दुबे सा.वे.2765

हीरा लाल लाइसेन्सदार
दीवानी कचहरी, गोरखपुर
पा० नं०-6



22 — 20/वा॰ 29/4/08 श्रीमती श्वेता लोधा ई॰ स्था॰ व॰ 29वॉ

हीरा लाल साईस्तदार
दीवानी कचहरी, गोरखपुर
पा॰ सं॰-6



29 — 29/8/07
वकालत श्रीमती श्वेता लाया दुबे स्त्री पवन कुमार दुबे के आवश्यक पो,
आवश्यकता होगा

हीरा लाल श्रीवास्तव
दीवानी कचहरी, गोरखपुर
पा० नं०-९